(261)

311
14-3-2001

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.1(8)नविवि/3/2000 जयपुर, दिनांक: 2 MAR 2001

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर ।

सचिव,
नगर सुधार न्यास,
समस्त (राजस्थान)

विषय :- कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ/रूपान्तरण/ नियमितिकरण से प्राप्त राशि के सम्बंध में ।

....

महोदय,

कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/ नियमितिकरण के लिये निर्धारित लक्ष्य विरूद्ध राजस्व वसूली उत्साहवर्धक नहीं रही है, अत: यह निर्णय लिया गया है कि कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के इच्छुक लोगों को स्वप्रेरणा से राशि जमा कराने के लिए प्रेरित किया जावे ।

इस सम्बंध में राज्य सरकार ने विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया है, अत: आप रूपान्तरण/ नियमितिकरण की सामान्य प्रक्रिया के साथ साथ लोगों में स्वप्रेरणा से अधिक से अधिक राशि जमा कराये इसके लिए धारा 90 बी के अन्तर्गत निर्णय की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं है ।

भवदीय,

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधिनस्थ नगरपरिषद/ नगरपालिकाओं को इसकी अविलम्ब पालना करवाने की कार्यवाही करें ।

8-3-01
उप शासन सचिव

(144)
(280)